

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक	फर्द अहकाम	
20/5/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...26/6/25...को पेश है।	
26/6/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...27/10/25...को पेश है।	
27/10/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक...27/10/25...को पेश है। उपरोक्त अवकाश पूर्व में पेश हो चुका था पत्रावली वास्तव में पीठासीन अधिकारी से 3 म 9, 12 म 15 को सत्र में सम्मिलित होने पर जरी होकर पत्रावली दिनांक 17/11/25 को पेश हो।	
17/11/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक...8/12/25...को पेश हो।	
8/12/25	पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी अन्य राजकार्य में व्यस्त। पत्रावली गतादेशानुसार दिनांक...9/12/25...को पेश हो। 9/12/25 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवान दिलाने पर भी वारीशान एवं उनके अधिवक्ता उप. नहीं हुए। अतः मु. नं. 211/2023 उनवान कुन्ता पत्नी सुयमरम वमाम रामसवाल दावा बाबत इस्तकरारतक तथास्मा आराजीयत एवं हुक्म इमनाई स्वामी अरम पैरवी अरम हाजिरी में खारिज किया जाता है। अतः पत्रावली फैसल सुमार होकर बाद तहमील नं. से कम की जाकर मूल दावे के साथ शामिल मिसल रहे। आदेश मुले न्यायालय में सुनाया गया।	

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)